

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

1-आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल पौड़ी/
कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

दिनांक 11 जून, 2020.

विषय- राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित रोस्टर नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, देहरादून के शासनादेश संख्या-124/30(2)/2020-53(01)2001, दिनांक 22 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो समस्त विभागध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को भी सम्बोधित है।

शासन द्वारा राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन के संबंध में उपरोक्त वर्णित शासनादेश के साथ संलग्न परिशिष्ट-1, 2 व 3 के अनुसार रोस्टर निर्धारित करते हुए चयन प्रक्रिया का पालन किये जाने हेतु समुचित निर्देश दिये गये हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक माह घटित होने वाली रिक्ति का कारण दर्शाते हुए रोस्टर पंजिका अद्यतन करने एवं कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नोडल अधिकारी नामित करते हुए प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में रोस्टर पंजिका को अद्यतन करते हुए इसकी सूचना संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व विभाग के अन्तर्गत सीधी भर्ती के पदों पर चयन के संबंध में उपर्युक्त वर्णित शासनादेश में उल्लिखित बिन्दु-1 से 11 के अनुसार समयबद्ध रूप से अनुपालन/आवश्यक कार्यवाही एवं इसकी सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख तक शासन के प्रशासकीय विभाग/परिषद् को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0एम0 मिश्र)

आयुक्त एवं सचिव

संख्या एवं तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून।
3. संबंधित उप राजस्व आयुक्त/अनुभाग अधिकारी, राजस्व परिषद्।

4. श्री 0 प्नाद म .

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद्

पं-००/-१०-१११/पं.१०-०६-२०२०

संख्या: १२५/XXX(2)/2020-53(01)/2001

प्रेषक,

राधा रतूडी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

DRC (LS) / 11c DRC (LS) / Dre
ARC (A1)

9/6/2020

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद
उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 22 मई, 2020

विशय : राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित रोस्टर नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: 276/XXX(2)/2019-53(1)/2001 दिनांक 11 सितम्बर, 2019 द्वारा राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु रोस्टर नीति लागू की गई थी। उक्त शासनादेश को अधिकमित करते हुए शासनादेश संख्या 97/XXX(2)/2020-53(1)/2001 दिनांक 19 मार्च, 2020 द्वारा शासन के सम्यक विचारोपरान्त पूर्ववर्ती रोस्टर कमांक के अनुसार (अर्थात् प्रथम पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित) राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित (ऊर्ध्व एवं क्षैतिज) रोस्टर नीति का निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन के संबंध में संलग्न परिशिष्ट-1 (ऊर्ध्व आरक्षण), परिशिष्ट-2 (क्षैतिज आरक्षण) एवं परिशिष्ट-3 (मॉडल रोस्टर) के अनुसार रोस्टर निर्धारित करते हुए राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन हेतु निम्नवत् प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

1. राज्याधीन सेवा संवर्गों के अंतर्गत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिशिष्ट-1 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों को रोस्टर कमांक के सम्मुख प्रतिस्थापित करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जायेगी।
2. संवर्गीय रोस्टर गठित होने के पश्चात्, परिशिष्ट-2 के अनुसार पृथक-पृथक अनारक्षित/आरक्षित श्रेणियों हेतु क्षैतिज आरक्षण की गणना करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जायेगी;

परन्तु उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2019 यथा संशोधन नियमावली, 2020 के उपबन्ध केवल सामान्य श्रेणी के पदों के सापेक्ष ही लागू होंगे।

3. नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व होगा कि प्रत्येक माह घटित होने वाली रिक्ति का कारण दर्शाते हुए रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जिसका दायित्व होगा कि प्रत्येक माह के प्रथम

र.०. Mr. Nainthan
22
10.6.20

- सप्ताह में रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जाय एवं इसकी सूचना संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी। यदि संबंधित विभाग द्वारा सूचना प्रेषित नहीं करायी जाती है तो नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।
4. राज्याधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होने की तिथि से आरक्षण की गणना की जायेगी, इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा बल्कि रोस्टर कमांक के अनुसार घटित होने वाली रिक्तियों के अनुसार पद आधारित आरक्षण की गणना की जायेगी।
 5. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शुद्ध एवं परिणामी रिक्तियों की गणना करते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु अधिचयन संबंधित आयोग को समयांतरगत प्रेषित की जाने की कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान रोस्टर नीति के अनुसार सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत रिक्ति को रोटेट करते हुए अगले रोस्टर कमांक को भरे जाने की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।
 6. क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत जिन श्रेणियों में चयन हेतु उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, ऐसे चयनों में दिव्यांगजन श्रेणी के रोस्टर कमांक को बैकलॉग हेतु रिक्त रखा जायेगा तथा शेष श्रेणियों में सम्बन्धित वर्ग के ही प्रवीणता कम से सामान्य चयन की कार्यवाही करा ली जायेगी।
 7. दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण उन्हीं सेवा संवर्गों में अनुमन्य होगा, जो विभागों एवं संवर्गों हेतु समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-196/xvii-2/2011-29(स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011 तथा समय-समय पर निर्धारित होने वाले वर्गीकरण के अनुसार किया गया हो। दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 का अनुपालन करते हुए कार्मिक विभाग के कार्यालय झाप संख्या-232 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 8. भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवामयोजन के सन्दर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt.(SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease." का प्राविधान राज्याधीन सेवाओं में लागू किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवा संवर्गों में सेवामयोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी।
 9. राज्याधीन सेवाओं में परिशिष्ट-1, 2 एवं 3 के अनुसार पद आधारित रोस्टर निर्गत होने के उपरांत आरक्षण की गणना हेतु फ्रैक्शन संबंधी शासनादेश संख्या-145, दिनांक 28 मई, 2018 को अधिकमित समझा जाय।
 10. सीधी भर्ती के किसी चयन में सेवा संवर्ग के अंतर्गत यदि आरक्षित रिक्तियों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक हो तो ऐसे चयन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001) की धारा 3 (4) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
 11. राज्याधीन सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु रोस्टर प्रणाली को ऑन-लाइन किये जाने का प्रकरण कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के स्तर पर गतिमान है। अतः समस्त सचिव/विभागाध्यक्ष अपने-अपने नियन्त्रणाधीन सेवा संवर्गों में आरक्षित श्रेणी के बैकलॉक

सहित रोस्टर अद्यतन कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें, ताकि यथाशीघ्र पंद आधारित रोस्टर प्रणाली को ऑन-लाइन कराया जा सके।

उक्तानुसार दिशा-निर्देशों का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
संलग्नक-यथोपरि।

भववीय,


(राधा रतूड़ी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या: (1)/XXX(2)/2020-53(01)2001 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :-

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) इनमें किसी उत्तराखण्ड प्रदश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त रोस्टर को लागू करने के अनुरोध सहित।
3. सचिव, नगर विकास/सचिव, आवास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त रोस्टर लागू कराने के अनुरोध सहित।
4. राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, संबंधित संस्थान/निगम उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद्/नगर महापालिका/नगरपालिका, टाउन एरिया, उत्तराखण्ड।
9. निबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
10. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
12. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
13. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
14. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
15. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन।
16. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

परिशिष्ट-1

शासनादेश संख्या: 124 /XXX(2)/2020-53(01)2001 दिनांक-22 मई, 2020 का संलग्नक।

राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति 19%, अन्य पिछड़ा वर्ग 14%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% तथा अनुसूचित जनजाति 4% निर्धारित ऊर्ध्व आरक्षण के सापेक्ष रोस्टर आधारित पदों की गणना।

| पद | पद की श्रेणी | अनुसूचित जाति 19% | अन्य पिछड़ा वर्ग 14% | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% | अनुसूचित जनजाति 4% |
|----|--------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1 | अनुसूचित जाति | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.04 |
| 2 | अनारक्षित | 0.38 | 0.28 | 0.20 | 0.08 |
| 3 | अनारक्षित | 0.57 | 0.42 | 0.30 | 0.12 |
| 4 | अनारक्षित | 0.76 | 0.56 | 0.40 | 0.16 |
| 5 | अनारक्षित | 0.95 | 0.70 | 0.50 | 0.20 |
| 6 | अनुसूचित जाति | 1.14 | 0.84 | 0.60 | 0.24 |
| 7 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 1.33 | 0.98 | 0.70 | 0.28 |
| 8 | अनारक्षित | 1.52 | 1.12 | 0.80 | 0.32 |
| 9 | अनारक्षित | 1.71 | 1.26 | 0.90 | 0.36 |
| 10 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 1.90 | 1.40 | 1.00 | 0.40 |
| 11 | अनुसूचित जाति | 2.09 | 1.54 | 1.10 | 0.44 |
| 12 | अनारक्षित | 2.28 | 1.68 | 1.20 | 0.48 |
| 13 | अनारक्षित | 2.47 | 1.82 | 1.30 | 0.52 |
| 14 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 2.66 | 1.96 | 1.40 | 0.56 |
| 15 | अनारक्षित | 2.85 | 2.10 | 1.50 | 0.60 |
| 16 | अनुसूचित जाति | 3.04 | 2.24 | 1.60 | 0.64 |
| 17 | अनारक्षित | 3.23 | 2.38 | 1.70 | 0.68 |
| 18 | अनारक्षित | 3.42 | 2.52 | 1.80 | 0.72 |
| 19 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 3.61 | 2.66 | 1.90 | 0.76 |
| 20 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 3.80 | 2.80 | 2.00 | 0.80 |
| 21 | अनुसूचित जाति | 3.99 | 2.94 | 2.10 | 0.84 |
| 22 | अनारक्षित | 4.18 | 3.08 | 2.20 | 0.88 |
| 23 | अनारक्षित | 4.37 | 3.22 | 2.30 | 0.92 |
| 24 | अनुसूचित जनजाति | 4.56 | 3.36 | 2.40 | 0.96 |
| 25 | अनारक्षित | 4.75 | 3.50 | 2.50 | 1.00 |
| 26 | अनुसूचित जाति | 4.94 | 3.64 | 2.60 | 1.04 |
| 27 | अनारक्षित | 5.13 | 3.78 | 2.70 | 1.08 |
| 28 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 5.32 | 3.92 | 2.80 | 1.12 |
| 29 | अनारक्षित | 5.51 | 4.06 | 2.90 | 1.16 |
| 30 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 5.70 | 4.20 | 3.00 | 1.20 |
| 31 | अनुसूचित जाति | 5.89 | 4.34 | 3.10 | 1.24 |
| 32 | अनारक्षित | 6.08 | 4.48 | 3.20 | 1.28 |
| 33 | अनारक्षित | 6.27 | 4.62 | 3.30 | 1.32 |
| 34 | अनारक्षित | 6.46 | 4.76 | 3.40 | 1.36 |

| | | | | | |
|----|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 35 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 6.65 | 4.90 | 3.50 | 1.40 |
| 36 | अनुसूचित जाति | 6.84 | 5.04 | 3.60 | 1.44 |
| 37 | अनारक्षित | 7.03 | 5.18 | 3.70 | 1.48 |
| 38 | अनारक्षित | 7.22 | 5.32 | 3.80 | 1.52 |
| 39 | अनारक्षित | 7.41 | 5.46 | 3.90 | 1.56 |
| 40 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 7.60 | 5.60 | 4.00 | 1.60 |
| 41 | अनुसूचित जाति | 7.79 | 5.74 | 4.10 | 1.64 |
| 42 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 7.98 | 5.88 | 4.20 | 1.68 |
| 43 | अनारक्षित | 8.17 | 6.02 | 4.30 | 1.72 |
| 44 | अनारक्षित | 8.36 | 6.16 | 4.40 | 1.76 |
| 45 | अनारक्षित | 8.55 | 6.30 | 4.50 | 1.80 |
| 46 | अनुसूचित जाति | 8.74 | 6.44 | 4.60 | 1.84 |
| 47 | अनारक्षित | 8.93 | 6.58 | 4.70 | 1.88 |
| 48 | अनुसूचित जन जाति | 9.12 | 6.72 | 4.80 | 1.92 |
| 49 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 9.31 | 6.86 | 4.90 | 1.96 |
| 50 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 9.50 | 7.00 | 5.00 | 2.00 |
| 51 | अनुसूचित जाति | 9.69 | 7.14 | 5.10 | 2.04 |
| 52 | अनारक्षित | 9.88 | 7.28 | 5.20 | 2.08 |
| 53 | अनारक्षित | 10.07 | 7.42 | 5.30 | 2.12 |
| 54 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 10.26 | 7.56 | 5.40 | 2.16 |
| 55 | अनारक्षित | 10.45 | 7.70 | 5.50 | 2.20 |
| 56 | अनुसूचित जाति | 10.64 | 7.84 | 5.60 | 2.24 |
| 57 | अनारक्षित | 10.83 | 7.98 | 5.70 | 2.28 |
| 58 | अनारक्षित | 11.02 | 8.12 | 5.80 | 2.32 |
| 59 | अनारक्षित | 11.21 | 8.26 | 5.90 | 2.36 |
| 60 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 11.40 | 8.40 | 6.00 | 2.40 |
| 61 | अनुसूचित जाति | 11.59 | 8.54 | 6.10 | 2.44 |
| 62 | अनारक्षित | 11.78 | 8.68 | 6.20 | 2.48 |
| 63 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 11.97 | 8.82 | 6.30 | 2.52 |
| 64 | अनारक्षित | 12.16 | 8.96 | 6.40 | 2.56 |
| 65 | अनारक्षित | 12.35 | 9.10 | 6.50 | 2.60 |
| 66 | अनुसूचित जाति | 12.54 | 9.24 | 6.60 | 2.64 |
| 67 | अनारक्षित | 12.73 | 9.38 | 6.70 | 2.68 |
| 68 | अनारक्षित | 12.92 | 9.52 | 6.80 | 2.72 |
| 69 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 13.11 | 9.66 | 6.90 | 2.76 |
| 70 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 13.30 | 9.80 | 7.00 | 2.80 |
| 71 | अनुसूचित जाति | 13.49 | 9.94 | 7.10 | 2.84 |
| 72 | अनुसूचित जनजाति | 13.68 | 10.08 | 7.20 | 2.88 |
| 73 | अनारक्षित | 13.87 | 10.22 | 7.30 | 2.92 |
| 74 | अनारक्षित | 14.06 | 10.36 | 7.40 | 2.96 |
| 75 | अनारक्षित | 14.25 | 10.50 | 7.50 | 3.00 |
| 76 | अनुसूचित जाति | 14.44 | 10.64 | 7.60 | 3.04 |
| 77 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 14.63 | 10.78 | 7.70 | 3.08 |
| 78 | अनारक्षित | 14.82 | 10.92 | 7.80 | 3.12 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 79 | अनारक्षित | 15.01 | 11.06 | 7.90 | 3.16 |
| 80 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 15.20 | 11.20 | 8.00 | 3.20 |
| 81 | अनुसूचित जाति | 15.39 | 11.34 | 8.10 | 3.24 |
| 82 | अनारक्षित | 15.58 | 11.48 | 8.20 | 3.28 |
| 83 | अनारक्षित | 15.77 | 11.62 | 8.30 | 3.32 |
| 84 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 15.96 | 11.76 | 8.40 | 3.36 |
| 85 | अनारक्षित | 16.15 | 11.90 | 8.50 | 3.40 |
| 86 | अनुसूचित जाति | 16.34 | 12.04 | 8.60 | 3.44 |
| 87 | अनारक्षित | 16.53 | 12.18 | 8.70 | 3.48 |
| 88 | अनारक्षित | 16.72 | 12.32 | 8.80 | 3.52 |
| 89 | अनारक्षित | 16.91 | 12.46 | 8.90 | 3.56 |
| 90 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 17.10 | 12.60 | 9.00 | 3.60 |
| 91 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 17.29 | 12.74 | 9.10 | 3.64 |
| 92 | अनारक्षित | 17.48 | 12.88 | 9.20 | 3.68 |
| 93 | अनुसूचित जाति | 17.67 | 13.02 | 9.30 | 3.72 |
| 94 | अनारक्षित | 17.86 | 13.16 | 9.40 | 3.76 |
| 95 | अनारक्षित | 18.05 | 13.30 | 9.50 | 3.80 |
| 96 | अनुसूचित जनजाति | 18.24 | 13.44 | 9.60 | 3.84 |
| 97 | अनारक्षित | 18.43 | 13.58 | 9.70 | 3.88 |
| 98 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 18.62 | 13.72 | 9.80 | 3.92 |
| 99 | अनारक्षित | 18.81 | 13.86 | 9.90 | 3.96 |
| 100 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 19.00 | 14.00 | 10.00 | 4.00 |

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

राज्याधीन सेवाओं में सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु परिशिष्ट-1 के अनुसार प्रत्येक श्रेणी हेतु आगणित पदों के सापेक्ष दैतिज आरक्षण की गणना।

| पद | पद की श्रेणी | उत्तराखण्ड महिला 30% | भूतपूर्व सैनिक 5% | दिव्यांगजन 4% | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2% | उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 5% |
|----|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | अनारक्षित | 0.30 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| 2 | अनारक्षित | 0.60 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.10 |
| 3 | अनारक्षित | 0.90 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.15 |
| 4 | उत्तराखण्ड महिला | 1.20 | 0.20 | 0.16 | 0.08 | 0.20 |
| 5 | अनारक्षित | 1.50 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.25 |
| 6 | अनारक्षित | 1.80 | 0.30 | 0.24 | 0.12 | 0.30 |
| 7 | उत्तराखण्ड महिला | 2.10 | 0.35 | 0.28 | 0.14 | 0.35 |
| 8 | अनारक्षित | 2.40 | 0.40 | 0.32 | 0.16 | 0.40 |
| 9 | अनारक्षित | 2.70 | 0.45 | 0.36 | 0.18 | 0.45 |
| 10 | उत्तराखण्ड महिला | 3.00 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.50 |
| 11 | अनारक्षित | 3.30 | 0.55 | 0.44 | 0.22 | 0.55 |
| 12 | अनारक्षित | 3.60 | 0.60 | 0.48 | 0.24 | 0.60 |
| 13 | अनारक्षित | 3.90 | 0.65 | 0.52 | 0.26 | 0.65 |
| 14 | उत्तराखण्ड महिला | 4.20 | 0.70 | 0.56 | 0.28 | 0.70 |
| 15 | अनारक्षित | 4.50 | 0.75 | 0.60 | 0.30 | 0.75 |
| 16 | अनारक्षित | 4.80 | 0.80 | 0.64 | 0.32 | 0.80 |
| 17 | उत्तराखण्ड महिला | 5.10 | 0.85 | 0.68 | 0.34 | 0.85 |
| 18 | अनारक्षित | 5.40 | 0.90 | 0.72 | 0.36 | 0.90 |
| 19 | अनारक्षित | 5.70 | 0.95 | 0.76 | 0.38 | 0.95 |
| 20 | उत्तराखण्ड महिला | 6.00 | 1.00 | 0.80 | 0.40 | 1.00 |
| 21 | भूतपूर्व सैनिक | 6.30 | 1.05 | 0.84 | 0.42 | 1.05 |
| 22 | उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे* | 6.60 | 1.10 | 0.88 | 0.44 | 1.10 |
| 23 | अनारक्षित | 6.90 | 1.15 | 0.92 | 0.46 | 1.15 |
| 24 | उत्तराखण्ड महिला | 7.20 | 1.20 | 0.96 | 0.48 | 1.20 |
| 25 | दिव्यांगजन | 7.50 | 1.25 | 1.00 | 0.50 | 1.25 |
| 26 | अनारक्षित | 7.80 | 1.30 | 1.04 | 0.52 | 1.30 |
| 27 | उत्तराखण्ड महिला | 8.10 | 1.35 | 1.08 | 0.54 | 1.35 |
| 28 | अनारक्षित | 8.40 | 1.40 | 1.12 | 0.56 | 1.40 |
| 29 | अनारक्षित | 8.70 | 1.45 | 1.16 | 0.58 | 1.45 |
| 30 | उत्तराखण्ड महिला | 9.00 | 1.50 | 1.20 | 0.60 | 1.50 |
| 31 | अनारक्षित | 9.30 | 1.55 | 1.24 | 0.62 | 1.55 |
| 32 | अनारक्षित | 9.60 | 1.60 | 1.28 | 0.64 | 1.60 |
| 33 | अनारक्षित | 9.90 | 1.65 | 1.32 | 0.66 | 1.65 |
| 34 | उत्तराखण्ड महिला | 10.20 | 1.70 | 1.36 | 0.68 | 1.70 |

(Handwritten signature)

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| 35 | अनारक्षित | | | | | |
| 36 | अनारक्षित | 10.50 | 1.75 | 1.40 | 0.70 | 1.75 |
| 37 | उत्तराखण्ड महिला | 10.80 | 1.80 | 1.44 | 0.72 | 1.80 |
| 38 | अनारक्षित | 11.10 | 1.85 | 1.48 | 0.74 | 1.85 |
| 39 | भूतपूर्व सैनिक | 11.40 | 1.90 | 1.52 | 0.76 | 1.90 |
| 40 | उत्तराखण्ड महिला | 11.70 | 1.95 | 1.56 | 0.78 | 1.95 |
| 41 | उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे* | 12.00 | 2.00 | 1.60 | 0.80 | 2.00 |
| 42 | अनारक्षित | 12.30 | 2.05 | 1.64 | 0.82 | 2.05 |
| 43 | अनारक्षित | 12.60 | 2.10 | 1.68 | 0.84 | 2.10 |
| 44 | उत्तराखण्ड महिला | 12.90 | 2.15 | 1.72 | 0.86 | 2.15 |
| 45 | अनारक्षित | 13.20 | 2.20 | 1.76 | 0.88 | 2.20 |
| 46 | अनारक्षित | 13.50 | 2.25 | 1.80 | 0.90 | 2.25 |
| 47 | अनारक्षित | 13.80 | 2.30 | 1.84 | 0.92 | 2.30 |
| 48 | उत्तराखण्ड महिला | 14.10 | 2.35 | 1.88 | 0.94 | 2.35 |
| 49 | अनारक्षित | 14.40 | 2.40 | 1.92 | 0.96 | 2.40 |
| 50 | दिव्यांगजन | 14.70 | 2.45 | 1.96 | 0.98 | 2.45 |
| 51 | उत्तराखण्ड महिला | 15.00 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 2.50 |
| 52 | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित | 15.30 | 2.55 | 2.04 | 1.02 | 2.55 |
| 53 | अनारक्षित | 15.60 | 2.60 | 2.08 | 1.04 | 2.60 |
| 54 | अनारक्षित | 15.90 | 2.65 | 2.12 | 1.06 | 2.65 |
| 55 | उत्तराखण्ड महिला | 16.20 | 2.70 | 2.16 | 1.08 | 2.70 |
| 56 | अनारक्षित | 16.50 | 2.75 | 2.20 | 1.10 | 2.75 |
| 57 | अनारक्षित | 16.80 | 2.80 | 2.24 | 1.12 | 2.80 |
| 58 | उत्तराखण्ड महिला | 17.10 | 2.85 | 2.28 | 1.14 | 2.85 |
| 59 | अनारक्षित | 17.40 | 2.90 | 2.32 | 1.16 | 2.90 |
| 60 | अनारक्षित | 17.70 | 2.95 | 2.36 | 1.18 | 2.95 |
| 61 | उत्तराखण्ड महिला | 18.00 | 3.00 | 2.40 | 1.20 | 3.00 |
| 62 | भूतपूर्व सैनिक | 18.30 | 3.05 | 2.44 | 1.22 | 3.05 |
| 63 | उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे* | 18.60 | 3.10 | 2.48 | 1.24 | 3.10 |
| 64 | अनारक्षित | 18.90 | 3.15 | 2.52 | 1.26 | 3.15 |
| 65 | उत्तराखण्ड महिला | 19.20 | 3.20 | 2.56 | 1.28 | 3.20 |
| 66 | अनारक्षित | 19.50 | 3.25 | 2.60 | 1.30 | 3.25 |
| 67 | अनारक्षित | 19.80 | 3.30 | 2.64 | 1.32 | 3.30 |
| 68 | उत्तराखण्ड महिला | 20.10 | 3.35 | 2.68 | 1.34 | 3.35 |
| 69 | अनारक्षित | 20.40 | 3.40 | 2.72 | 1.36 | 3.40 |
| 70 | अनारक्षित | 20.70 | 3.45 | 2.76 | 1.38 | 3.45 |
| 71 | उत्तराखण्ड महिला | 21.00 | 3.50 | 2.80 | 1.40 | 3.50 |
| 72 | अनारक्षित | 21.30 | 3.55 | 2.84 | 1.42 | 3.55 |
| 73 | अनारक्षित | 21.60 | 3.60 | 2.88 | 1.44 | 3.60 |
| 74 | अनारक्षित | 21.90 | 3.65 | 2.92 | 1.46 | 3.65 |
| 75 | उत्तराखण्ड महिला | 22.20 | 3.70 | 2.96 | 1.48 | 3.70 |
| 76 | दिव्यांगजन | 22.50 | 3.75 | 3.00 | 1.50 | 3.75 |
| 77 | अनारक्षित | 22.80 | 3.80 | 3.04 | 1.52 | 3.80 |
| 78 | उत्तराखण्ड महिला | 23.10 | 3.85 | 3.08 | 1.54 | 3.85 |
| | अनारक्षित | 23.40 | 3.90 | 3.12 | 1.56 | 3.90 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| 79 | भूतपूर्व सैनिक | 23.70 | 3.95 | 3.16 | 1.58 | 3.95 |
| 80 | उत्तराखण्ड महिला | 24.00 | 4.00 | 3.20 | 1.60 | 4.00 |
| 81 | उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे* | 24.30 | 4.05 | 3.24 | 1.62 | 4.05 |
| 82 | अनारक्षित | 24.60 | 4.10 | 3.28 | 1.64 | 4.10 |
| 83 | अनारक्षित | 24.90 | 4.15 | 3.32 | 1.66 | 4.15 |
| 84 | उत्तराखण्ड महिला | 25.20 | 4.20 | 3.36 | 1.68 | 4.20 |
| 85 | अनारक्षित | 25.50 | 4.25 | 3.40 | 1.70 | 4.25 |
| 86 | अनारक्षित | 25.80 | 4.30 | 3.44 | 1.72 | 4.30 |
| 87 | उत्तराखण्ड महिला | 26.10 | 4.35 | 3.48 | 1.74 | 4.35 |
| 88 | अनारक्षित | 26.40 | 4.40 | 3.52 | 1.76 | 4.40 |
| 89 | अनारक्षित | 26.70 | 4.45 | 3.56 | 1.78 | 4.45 |
| 90 | उत्तराखण्ड महिला | 27.00 | 4.50 | 3.60 | 1.80 | 4.50 |
| 91 | अनारक्षित | 27.30 | 4.55 | 3.64 | 1.82 | 4.55 |
| 92 | अनारक्षित | 27.60 | 4.60 | 3.68 | 1.84 | 4.60 |
| 93 | अनारक्षित | 27.90 | 4.65 | 3.72 | 1.86 | 4.65 |
| 94 | उत्तराखण्ड महिला | 28.20 | 4.70 | 3.76 | 1.88 | 4.70 |
| 95 | उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे* | 28.50 | 4.75 | 3.80 | 1.90 | 4.75 |
| 96 | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित | 28.80 | 4.80 | 3.84 | 1.92 | 4.80 |
| 97 | उत्तराखण्ड महिला | 29.10 | 4.85 | 3.88 | 1.94 | 4.85 |
| 98 | दिव्यांगजन | 29.40 | 4.90 | 3.92 | 1.96 | 4.90 |
| 99 | भूतपूर्व सैनिक | 29.70 | 4.95 | 3.96 | 1.98 | 4.95 |
| 100 | उत्तराखण्ड महिला | 30.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 |

* उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।
०८

P

शासनादेश संख्या:

XXX(2)2020-53(01)2001 दिनांक मई, 2020 का संलग्नक I

परिशिष्ट-3

मॉडल रोस्टर

| Sl | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 1 | SC | UR | UR | UR | UR | SC | OBC | UR | UR | EWS | SC | UR | UR | OBC | UR | SC | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | ST |
| 2 | UR | UR | UR | UR | SC | OBC | UR | UR | EWS | SC | UR | UR | OBC | UR | UR | SC | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | ST |
| 3 | UR | UR | UR | UR | OBC | UR | UR | EWS | SC | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | SC | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | ST |
| 4 | UR | UR | UR | SC | OBC | UR | UR | EWS | SC | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | SC | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | ST |
| 5 | UR | SC | OBC | UR | UR | UR | EWS | SC | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ST |
| 6 | SC | OBC | UR | UR | UR | UR | EWS | SC | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ST |
| 7 | OBC | UR | UR | UR | UR | UR | EWS | SC | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ST |
| 8 | UR | UR | UR | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ST |
| 9 | UR | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ST |
| 10 | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ST |
| 11 | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ST |
| 12 | UR | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ST |
| 13 | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ST |
| 14 | OBC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ST |
| 15 | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ST |
| 16 | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ST |
| 17 | UR | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ST |
| 18 | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ST |
| 19 | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ST |
| 20 | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ST |
| 21 | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ST |
| 22 | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ST |
| 23 | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ST |
| 24 | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | OBC | UR | UR | UR | UR | OBC | EWS | SC | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ST |

N